बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

दिनांक–19.02.2026 को अभियंता प्रमुख (विद्युत), भवन निर्माण विभाग, पटना के कार्यालय कक्ष में वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभागान्तर्गत विद्युत भवन प्रमंडल संख्या–2, पटना एवं विद्युत भवन प्रमंडल संख्या–3, पटना के कार्यों की द्वितीय प्राथमिकता सूची निर्धारित करने के संबंध में आहूत बैठक की कार्यवाही–

उपस्थिति–

(1)	श्री असीम कुमार	– अभियंता प्रमुख (विद्युत), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
(2)	श्री असीम कुमार	– मुख्य विद्युत अभियंता–1, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
(3)	श्री विकाश कुमार पाण्डेय	– आंतरिक वित्तीय सलाहकार, भवन निर्माण विभाग, पटना ।
(4)	श्री आदित्य राज	– विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत भवन अंचल, पटना ।

विद्युत भवन प्रमंडल संख्या–2, पटना एवं विद्युत भवन प्रमंडल संख्या–3, पटना के कार्यों की द्वितीय प्राथमिकता सूची के निर्धारण हेतु अभियंता प्रमुख (विद्युत), भवन निर्माण विभाग, पटना के अध्यक्षता में प्राथमिकता निर्धारण समिति की बैठक आहूत की गयी ।

ज्ञातव्य हो कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में विद्युत अनुरक्षण एवं मरम्मति मद (03–2059800530004) के अंतर्गत कुल सौ करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है । तदालोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए विभागीय पत्रांक–10583 (भ), दिनांक–27.11.2025 के द्वारा विद्युत भवन प्रमंडल संख्या–3, भवन निर्माण विभाग, पटना को कुल रु0 9,39,53,102/– (नौ करोड़ उनचालिस लाख तिरपन हजार एक सौ दो) मात्र एवं विभागीय पत्रांक–7854 (भ), दिनांक–22.08.2025 के द्वारा विद्युत भवन प्रमंडल संख्या–2, भवन निर्माण विभाग, पटना को कुल रु0 8,67,21,420/– (आठ करोड़ सड़सठ लाख एक्कीस हजार चार सौ बीस) मात्र की राशि कर्णांकित की गयी है ।

दिनांक–28.11.2025 को आयोजित प्राथमिकता निर्धारण समिति की बैठक में उक्त राशि के विरूद्ध विद्युत भवन प्रमंडल संख्या–2, भवन निर्माण विभाग, पटना को रु0 4,65,78,625/– (चार करोड़ पैसठ लाख अठहत्तर हजार छः सौ पच्चीस) मात्र एवं विद्युत भवन प्रमंडल संख्या–3, भवन निर्माण विभाग, पटना को रु0 8,57,59,896/– (आठ करोड़ सनतावन लाख उनसठ हजार आठ सौ छियानवे) मात्र (माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आवासीय/गैर आवासीय भवनों को छोड़कर) की प्राथमिकता अनुमोदित कर राशि आवंटित करने की अनुशंसा की गई है ।

उल्लेखनीय है कि BWMS के माध्यम से विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत भवन अंचल, पटना के द्वारा विद्युत भवन प्रमंडल संख्या–2, पटना एवं विद्युत भवन प्रमंडल संख्या–3, पटना की द्वितीय प्राथमिकता सूची को जाँचोपरान्त मुख्य विद्युत अभियंता, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया गया है ।

तद् आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में विद्युत भवन प्रमंडल संख्या–2, पटना एवं विद्युत भवन प्रमंडल संख्या–3, पटना हेतु कुल कर्णांकित राशि के अंतर्गत संबंधित विद्युत कार्यपालक अभियंता द्वारा समर्पित द्वितीय प्राथमिकता सूची को अनुमोदित करते हुए क्रमशः रु0 20,82,321/– (बीस लाख बेरासी हजार तीन सौ एक्कीस) मात्र एवं रु0 98,31,835/– (अनठानवे लाख एकतीस हजार आठ सौ पैतीस) मात्र की राशि का आवंटन निर्गत करने की अनुशंसा की जाती है ।

प्राथमिकता अनुमोदन का अर्थ संबंधित विद्युत कार्यपालक अभियंता कतई न समझे की प्राथमिकता सूची में कार्य के सामने अंकित राशि उस कार्य के लिए निर्धारित कर दिया गया है । प्रत्येक कार्य का विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति प्राप्त कर एवं विधिवत् निविदा कर कार्य का निष्पादन करेंगे ।

विद्युत कार्यपालक अभियंता को यह भी निदेशित किया गया कि –

(1) विद्युत कार्यपालक अभियंता राशि की उपलब्धता के आधार पर कार्य का नियमानुसार निविदा आमंत्रित करते हुए एकरारनामा कर कार्य करायेंगे ।

(2) वित्तीय वर्ष 2025–26 में इस शीर्ष में बजट उपबंध एवं संभावित आवंटनादेश की प्रत्याशा में पूरे वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए प्राथमिकता सूची अनुमोदित किया जा रहा है । इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि बिना आवंटन प्राप्त किये प्राथमिकता सूची के अंतर्गत स्वीकृत सभी कार्यों को कराया जाय एवं दायित्व का सृजन किया जाय । विद्युत कार्यपालक अभियंता की यह व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि आवंटित राशि की अधिसीमा के अंतर्गत अनुमोदित सूची में से योजनाओं का चयन कर निविदा इत्यादि कार्य पूर्ण कराते हुए कार्यादेश निर्गत करेंगे । कार्य की गुणवत्ता से संतुष्ट होकर ही कराये गये कार्यों का भुगतान करेंगे ।

(3) कार्य की गुणवत्ता की जाँच कर एवं संतुष्ट होकर ही भुगतान करेंगे । सभी कार्यों को नियमानुसार निविदा के माध्यम से ही सम्पादित करायेगे ।

(4) विद्युत कार्यपालक अभियंता की यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि अनुरक्षण एवं मरम्मति कार्य की निधि से सिर्फ मरम्मति, वार्षिक सम्पोषण एवं रिनोभेशन का ही कार्य कराया जाय ।

(5) विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत भवन अंचल, पटना संबंधित विद्युत कार्यपालक अभियंता के साथ समय–समय पर आवंटित राशि के समानुपात में कार्यों की समीक्षा करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि किसी भी परिस्थिति में दायित्व का सृजन एवं अनियमितता नहीं हो ।

(6) किसी भी परिस्थिति में वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए Committed Liability का सृजन नहीं किया जाय । इस संबंध में संबंधित विद्युत कार्यपालक अभियंता के द्वारा दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय । प्राथमिकता में किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित होता है, तो सुधारोपरान्त ही कार्य प्रारम्भ करायेंगे । संबंधित विद्युत अधीक्षण अभियंता प्राथमिकता सूची के अनुसार कार्य एवं कार्य की गुणवत्ता का समय–समय पर निरीक्षण करेंगे ।.

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

19/02/26	19/02/26	19/2/26	19/2/26
(आदित्य राज)	(विकाश कुमार पाण्डेय)	(असीम कुमार)	(असीम कुमार)
विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत भवन अंचल, पटना ।	आंतरिक वित्तीय सलाहकार, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।	मुख्य विद्युत अभियंता–1, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।	अभियंता प्रमुख (विद्युत), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक–प्र022 / भ0वि0वि0–25 / 25– दिनांक–

प्रतिलिपि–सचिव के प्रधान आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना / अपर सचिव (बजट), भवन निर्माण विभाग, पटना / अभियंता प्रमुख (विद्युत), भवन निर्माण विभाग, पटना / आंतरिक वित्तीय सलाहकार, भवन निर्माण विभाग, पटना / विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत भवन अंचल, पटना / विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत भवन प्रमंडल संख्या–2, पटना / विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत भवन प्रमंडल संख्या–3, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0 / –
(असीम कुमार)
मुख्य विद्युत अभियंता–1,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक–प्र022/भ0वि0वि0–25/25– 145 (वि0) दिनांक– 20/2/26

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

20/2/26

(असीम कुमार)
मुख्य विद्युत अभियंता–1,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।